राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय / 2016 जयपुर, दिनांक 27 JUL 2016

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या–59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठसीन अधिकारी भी नियुक्त करती है। इन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

| क्र. सं. | न्यायालय / अधिकरण का नाम | बैठक का स्थान | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|---|
| 1 | अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांरा जिला बांरा | बांरा | राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी। |
| 2 | अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जैसलमेर जिला जैसलमेर | जैसलमेर | राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी। |
| 3 | अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, फतेहपुर जिला सीकर | फतेहपुर | स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा अनुसार |
| 4 | अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चिड़ावा जिला झुंझुनू | चिड़ावा | स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा अनुसार |
| 5 | अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, खेरवाड़ा जिला उदयपुर | उदयपुर | स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा अनुसार |

साथ ही पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 3 (1)परि/91 दिनांक 11.6.92 द्वारा निर्धारित अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, निम्बाहेड़ा का क्षेत्राधिकार निम्बाहेड़ा उपखण्ड (तहसील बड़ी सादड़ी व छोटी सादड़ी को छोड़कर) से बढाकर उक्त न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार (बड़ी सादड़ी एवं डुंगला उपखण्ड सहित) तक किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

---

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2016/ 1029 Dated : 03/08/2016

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Registrar (Classificaiton), RHC, Jodhpur with a request to upload the same at high court website.
3. Concerned District and Session Judge (Except Udaipur)
4. Concerned Court. (Except ADJ, Kherwara)
5. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, Rajasthan High Court, Jodhpur

REGISTRAR (RULES)